न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 02/2018

अनवान : –

1. मुखी पुत्री रूपा पत्नी मनफुल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर हाल निवास ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगगढ़।

– अपीलांट

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. इन्द्राज पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
3. कृष्ण कुमार पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
4. बलदेव पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
5. भागीरथ पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. नरसिंह पुत्र ओमप्रकाश पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. रामचन्द्र पुत्र ओमप्रकाश पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
8. जयलाल पुत्र ओमप्रकाश पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. समेस्ता देवी पुत्री ओमप्रकाश पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निबासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. मांगीलाल पुत्र रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. आशकरण पुत्र रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
12. विद्या देवी पुत्री रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. राकेश पुत्री रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
14. महेन्द्र पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
15. साहबराम पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. भीमराज पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
17. कमला पुत्री माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
18. सीता पुत्री माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
19. शारदा पुत्री माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
20. सरंपच ग्राम पंचायत [illegible] तहसील नोहर।

– [illegible] रेस्पोडेंटस

21. रामेश्वर पुत्र रूपा पत्नी मनफुल पत्नी मनफुल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर हाल निवासी नुआ तहसील भादरा।
22. आदराम पुत्र रूपा पत्नी मनफुल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.04 11:14:29 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

23. विमला पुत्री रूपा पत्नी मनफुल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।

– तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध नामन्तरण संख्या 920 दिनांक 14.07.1995

सरपंच ग्राम पंचायत भूकरका अपील अन्तर्गत धारा

75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक: 02/02/26

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अपीलाधीन नामान्तरण स0 920 दिनांक 14.07.1995 रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के ख0न0 296 की कु 12.191 हैक्ट भूमि का नामान्तरण रेस्पो स0 2 ता 5 के पक्ष में नामान्तरण पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य के विपरित तथा बिना किसी सुनवाई के नैसर्गिक न्याय की अवहेलना में विधि विरूद्ध पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

मातहत अदालत ने वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरण कतई गलत तौर से तस्दीक किया गया है। वारिस प्रमाण पत्र में लेखू के दो लड़किया कुर्सीनामा दर्शाई गई है जबिक रूपा व तानी लेखू की पुत्रीया होना दर्ज किया जबकि तानी पुत्री लेखू अकेली के अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज किया है अपीलान्ट की माता का 1/2 हिस्सा तानी पुत्र लेखू अकेली के गलत तौर से दर्ज किया है। जबकि अपीलान्ट की माता वाद भूमि में 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार थी। ग्राम पंचायत को सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना अपीलान्ट की माता के हक व हिस्से को रेस्पो० के मौरूसान तानी पुत्री लेखू के नाम भूमि दर्ज करने का कानुनी अधिकारी नही था। उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय कतई कानुन विरूद्व पारित किया गया है। तथा ग्राम पंचायत द्वारा दो तिहाई बहुमत के तहत अपीलाधीन नामान्तरण को तस्दीक नही करवाया अकेले सरपंच को नामान्तरण दर्ज करने का कानुनी अधिकारी नही था। रेस्पोडेन्टस स० 5 के साथ रेस्पो० स० 2 ता 4 ने परस्पर दुरःभि संन्धि करके मातहत अदालत के समक्ष वाद रेस्पो० स० 2 ता 4 ने इस आश्य का पेश किया कि वादी गांव देईदास तहसील नोहर के वासिदे पेशा काश्तकार है वादी स० 2 ता 4 के पिता प्रतिवादी स० 1 भागीरथ के नाम रोही मोजा देईदास तहसील नोहर के ख0न0 260 की 32 बीघ 9 बिस्वा भूमि व ख0न0 448 की 15 बीघा 10 बिस्वा तथा रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के ख0न0 296 की 12.191 हैक्टयर बारानी भूमि खातेदारी दर्ज कागजात पटवार है उपरोक्त भूमि प्रतिवादी स० 1 की अपने नाना लेखुराम से विरास्तान में मिली है। अतः पुश्तैनी भूमि होने के कारण वादी सं० 1 ता 3 का जन्म से ही प्रतिवादी स० 1 के साथ बराबर का [illegible] हिस्सा है जिसे वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने के अधि करी है प्रतिवदी [illegible] में है। तथा वादीगण स० 2 ता 4 का उनके हिस्से से महरूम करना चाहता है आदि–आदि प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी भागीरथ ने उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश किया इकबाल दावा को आधार मानते हुऐ वाद वादीगण डिकी कर दिया। जिसके अनुसार रोही मोजा देईदास के ख0न0 260 की 32 बीघा 9

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.04 11:14:29 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बिस्वा व ख0न0 448 की 15 बीघा 10 बिस्वा एवं रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के ख0न0 296 की 12.191 हैक्टयर भूमि अर्थात 48 बीघा 10 बिस्वा भूमि में रेस्पोडेन्ट स० 2 ता 5 को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया मातहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय धारा 39 राज० काश्तकारी अधिनियम की अवहेलना में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि रेस्पो० स० 2 ता 5 द्वारा प्रस्तुत तथाकथित वसीयत गैर खातेदारी भूमि की थी। कानूनन गैर खातेदारी भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती है। वसीयत के आधार पर रोही मौजा भूकरका व देईदास की भूमि मुताबिक गैर खातेदारी वसीयत की वाद डिकी नहीं किया जा सकता है। तथा लेखुराम द्वारा भागीरथ के पक्ष में वसीयत यदि कोई निष्पादित की गई थी तो वह गैरखातेदारी भूमि की थी। उक्त दस्तावेजी व तथाकथित वसीयत 22.5.1987 शुरू से ही शुन्य है व अकृत दस्तावेज था तथा उक्त आधारो पर पारित एस.डी.ओ. कोर्ट नोहर द्वारा पारित डिकी जिसमें अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पो० स० 21 ता 23 का 1/2 ब.हि..ब वाद भूमि में खातेदार काश्तकार थे। उनका हिस्सा रेस्पो० स० 2 ता 5 ने कतई गलत तौर से अनुचित तरीके से दर्ज करवा लिया है। उक्त भूमि लेखु वल्द गणेशा की खातेदारी कृषि भूमि थी। वसीयत दिनांक 22.5.1987 जो गैर खातेदारी जिस पर किसी प्रकार से कोई हक हासिल व रेस्पो० स० 2 ता 5 को नही होते इसके बाबजुद न्यायालय एस.डी.ओ कोर्ट नोहर से डिकी पारित करवाई जिसमें अपीलान्ट पक्षकार नही थी। उक्त डिकी से अपीलान्ट पाबन्द नहीं थी और नही है। क्योंकि अपीलान्ट अपना हक व हिस्सा लेने के लिए सदैव स्वत्रंत है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरण आदेश अपास्तनीय है। वादग्रस्त भूमि लेखराम पुत्र गणेशा के नाम से दर्ज थी। लेखराम पुत्र गणेशा के दो पुत्रीया अपीलान्ट मुखी की माता रूपा व रेस्पो० स० 5 व 6 ता 9 के मौरूशान व रेस्पो० स० 10 ता 14 के पिता रामजीलाल की माता तानी व रेस्पो० स० 15 ता 19 की माता तानी थी रेस्पो० स० 5 ने रेस्पो० स० 2 ता 4 से मिली भगत कर लेखुराम द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 22.5.1987 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया तथा अपने पुत्रो को पक्षकार बनाते हुये वाद डिकी करवा लिया जबकि अपीलान्ट वाद भूमि में 1/2 हिस्सा की खातेदार काश्तकार थी सैक्शन 39 आर.टी.एक्ट के तहत गैर खातेदारी भूमि की वसीयत नही की जा सकती है। लेखुराम द्वारा रेस्पो० स० 5 भागीरथ के पक्ष में वसीयत निष्पादित कर दी गई तो भी रूपा या रूपा के वारिसान मुखी को पक्षकार बनाया जाकर उन्हें सुनवाई या साक्ष्य का समूचित अवसर दिया जाना चाहिए था। तथा रेस्पो० स० 6 ता 22 व अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया जबकि वाद में उनका भी यानि तानी के पुत्रो का 1/2 हिस्सा व रूपा के वारिसान का 1/2 हिस्सा के खातेदार थे घोषणा का वाद बिना सभी वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का उन्हें सम्पूर्ण अवसर देकर फिर नामान्तरण दर्ज किया जाना चाहि[illegible] हक व हिस्सा के परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित पक्षकार [illegible] ढंग से नामान्तरण निर्णय पारित किया है जो कि अपास्त[illegible]ईदास व भूकरका की वाद भूमि सम्बत 2008 से 2011 की जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी [illegible] उक्त भूमि का खातेदार राव अमरसिंह जी ठाकूर जागीरदार जसाना तहसील नोहर की भूमि थी जिसको लेखु के पूर्वजो गणेशा वल्द खिंया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.04 11:14:29 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की अर्जित व नोतोड किया था उक्त विवरण न्यायालय ने उक्त दस्तावेजी साक्ष्य को अथवा वाद भूमि के उदगम स्त्रोत को तलब नहीं किया अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पो० की माता रूपा दिनांक 10.4.1985 को फौत हो चुकी थी। अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पो० मृतक लेखु की पुत्री के लड़के व लड़किया है यानि दौहिता व दोहिती है जिनको विचारण न्यायालय ने पक्षकार नही बनाया तथा मृतक लेख के तानी पुत्री लेखु के अलावा रूपा पुत्री थी। दोनो से लेख को प्रेम व स्नेह था। इससे पूर्व भी रेस्पो० ने एक वाद दिनांक 30.5.2000 को मातहत अदालत से डिकी करवाया था वो दिनांक 27.3.2018 को न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राचि करी हनुमानगढ द्वारा अपील स० 259/2016 को खारीज किया जा चुका था। उक्त वाद में मृतका तानी ने मिली भगत कर अपने पुत्र से दावा करवाकर वाद डिकी करवा लिया था। जबकि अन्य वारिसान अपनी सगी बहन रूपादेवी के वारिसान को उक्त वाद पत्र में पक्षकार ही नही बनाया जबकि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पो० मृतक लेखु की पुत्री रूपा देवी के वारिसान है। यही प्रश्न वर्तमान अपीलाधीन नामान्तरण में उत्पन हुआ अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया गया जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा सुना जाना आवश्यक था। तथा उन्हें जवाब देही व साक्ष्य का समूचित अवसर दिया जाकर अपीलाधीन नामान्तरण आदेश पारित किया जाना चाहिए था। परन्तु मातहत अदालत ने विधि की अवहेलना में अपीलाधीन नामान्तरण पारित किया है जो कि अपास्तनीय है। अपीलान्ट मृतक लेखुराम की पुत्री रूपा की वारिसान है उसे मातहत अदालत द्वारा पक्षकार नही बनाया गया है एवं अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पो० लेखू की पुत्री रूपा के वारिसान है जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा सुना जाना आवश्यक था परन्तु विचारण न्यायालय ने उनको पक्षकार नहीं बनाया ना ही जवाब देही व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया लेखु राम की विवादित भूमि को करीब 2 वर्ष पूर्व ही खातेदारी अधिकार दिये गये है वसीयत दिनांक 22.5.1987 गैर खातेदारी भूमि थी मातहत अदालत ने उक्त बिन्दु पर किया था वसीयत दिनांक 22.5.1987 जो कि गैर खातेदारी भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती है तथा लेखु के वारिसान रूपा का 1/2 हिस्सा वाद में हिस्सा होते हुये उन्हें पक्षकार न बनाया जाना आदि से अपीलान्ट व्यक्ति पक्षकार है इस वास्ते दफा 96 सीपीसी के तहत बतौर तृतीय पक्षकर अपील अपीलान्ट दफा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर रही है। अपीलाधीन नामान्तरण आदेश में अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया गया था। तथा उसे कोई नोटिस अथवा सूचना नही दी गई। जब न्यायालय हाजा से अपील स0 259 / 2016/223 आर.टी.एक्ट बअनवानी मुखी बनाम भागीरथ आदि का निर्णय दिनांक 27.3.18 को हुआ तब रेस्पो० ने अपीलान्ट को धमकी दी कि तुने एक फैसला निरस्त करवाया है परन्तु मेरे नाम राजस्व रिकार्ड में अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज है। तथा तब अपीलान्ट को उक्त [illegible] कर दिनांक को प्रमाणित प्रति लेने हेतु अपीलान्ट न्यायालय में आ[illegible].2018. को प्रमाणित प्रति पटवारी हल्का से प्राप्त करने प[illegible] न्यायालय के पता चाला कि अपीलाधीन नामान्तण गैर कानुनी ढंग से पारित किया गया [illegible] अपील अपीलान्ट ज्ञान से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है दौयम अलबाता मातहत अदालत का अपीलाधीन नामान्तरण आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.04 11:14:29 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

क्षेत्राधिकार विहिन है एवं गैर कानूनी तरीके से धारा 39 आर.टीएक्ट की अवहेलना में गैर खातेदारी भूमि के आधार पर कानून विरूद्ध डिकी व नामान्तरण आदेश पारित किये है जिस पर कोई मियाद अवधि लागु नही होती है फिर भी सुविधा का दृष्टि से अपीलाधीन नामान्तरण आदेश अपास्त किये जाने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरण 920 दिनांक 14.07.1995 रोही मौजा भूकरका अपास्त किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट ने नामानतरण संख्या 920 दिनांक 14.07.1995 रोही मौजा भूकरका, जमाबंदी रोही मौजा भूकरका खाता स0 33/30, प्रमाणित जमाबंदी रोही मौजा देईदास खाता स0 15/145, चित्रपति नामान्तरण स0 6000 दिनांक 11.10.24 रोही मौजा भूकरका, चित्रपति नामान्तरण स0 2066 दिनांक 30.09.2024 रोही मौजा देईदास, चित्रप्रति निर्णय माननीय सभागीय आयुक्त महोदय बीकानेर प्रकरण स0 104/2020, 105/2020 व 107/2020 अनवानी मुखी बनाम सरकार निर्णय दिनांक 09.04.2024, निर्णय प्रति माननीय अपर जिला न्यायाधीश स0 1 नोहर प्रकरण स0 37/2017 अनवानी रामेश्वर आदि बनाम भागीरथ आदि निर्णय दिनांक 31.05.2025 चित्रप्रति निर्णय बअदालत उपखण्ड न्यायालय नोहर अन्तर्गत धारा 144 आदि पेश किये।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की मातहत अदालत ने वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरण कतई गलत तौर से तस्दीक किया गया है। वारिस प्रमाण पत्र में लेखू के दो लड़किया कुर्सीनामा दर्शाई गई है जबिक रूपा व तानी लेखू की पुत्रीया होना दर्ज किया जबकि तानी पुत्री लेखू अकेली के अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज किया है अपीलान्ट की माता का 1/2 हिस्सा तानी पुत्र लेखू अकेली के गलत तौर से दर्ज किया है। जबकि अपीलान्ट की माता वाद भूमि में 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार थी। वादग्रस्त भूमि लेखराम पुत्र गणेशा के नाम से दर्ज थी। लेखराम पुत्र गणेशा के दो पुत्रीया अपीलान्ट मुखी की माता रूपा व रेस्पो० स० 5 व 6 ता 9 के मौरूशान व रेस्पो० स० 10 ता 14 के पिता रामजीलाल की माता तानी व रेस्पो० स० 15 ता 19 की माता तानी थी रेस्पो० स० 5 ने रेस्पो० स० 2 ता 4 से मिली भगत कर लेखुराम द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 22.5.1987 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया तथा अपने पुत्रो को पक्षकार बनाते हुये वाद डिकी करवा लिया जबकि अपीलान्ट वाद भूमि में 1/2 हिस्सा की खातेदार काश्तकार थी सैक्शन 39 आर.टी.एक्ट के तहत गैर खातेदारी भूमि की वसीयत नही की जा सकती [illegible] स० 5 भागीरथ के पक्ष में वसीयत निष्पादित कर दी गई तो भी [illegible] पक्षकार बनाया जाकर उन्हें सुनवाई या साक्ष्य का समूचित [illegible] चाहिए था तथा रेस्पो० स० 6 ता 22 व अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया जबकि वाद में उनका भी यानि तानी के पुत्रो का 1/2 हिस्सा व रूपा के वारिसान का 1/2 हिस्सा के खातेदार थे घोषणा का वाद बिना सभी वारिसान को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.04 11:14:29 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का उन्हें सम्पूर्ण अवसर देकर फिर नामान्तरण दर्ज किया जाना चाहिए था वो भी मुताबिक हक व हिस्सा के परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित पक्षकार अपीलान्ट को सूने बिना गैर कानुनी ढंग से नामान्तरण निर्णय पारित किया है जो कि अपास्तनीय है। यायालय हाजा से अपील स0 259 / 2016/223 आर.टी.एक्ट बअनवानी मुखी बनाम भागीरथ आदि का निर्णय दिनांक 27.3.18 को हुआ तब रेस्पो० को पता चला इसलिए ज्ञान से अन्दर मियाद अपील पेश की जा रही एवं अपील अपीलांट स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस में निवेदन किया की अपीलांट ने इस अपील से पहले वसीयत दिनांक 22–5–1987 बहक रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 व दानपत्र दिनांकं 29–3–2016 बहक रोहताश पुत्र कृष्णकुमार व सुरेश कुमार पुत्र इन्द्राज व निर्णय व डिक्री दिनांक 16–10–2002 बहक रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 ता 4 को शून्य अकृत्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने हेतु न्यायालय अपर जिला न्यायाधीशा संख्या 1 नोहर सिविल प्रकरण संख्या 44/18 अनवानी रामेश्वर आदि बनाम भागीरथ आदि जिसके इस अपील की अपीलांट सिविल कोर्ट के दावा में वादी संख्या 2 है तथा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मेंराजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 3142/2018 अनवानी भागीरथ बनाम मुखी आदि प्रस्तुत कर रखी है जिसमें तारीख पेशी दिनाक 23–10–2018 है तथा एक राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के यहां अपील अनवानी मुखी बनाम इन्द्राज आदि पेश की थी तथा उक्त अपील श्रीमान अदालत को रिमाण्ड की गई है तथा उक्त रिमाण्ड आदेश खिलाफ राजस्व मण्डल अजमेर द्वितीय अपील इन्द्राज आदि बनाम मुखी आदि जेरकार है। जब सक्षम कोर्ट में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रकरण सचल रहे है इसलिये नामान्तरण की अपील नही चल सकती है, क्योकि नामान्तरण एक फिसकल प्रोसिडिंग होती है तथा उससे कोई हक तक नही किये जा सकते है तथा सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा वसीयत व दानपत्र व डिक्री की वैधता तथा अवैधता की जांच होनी है इसलिये नियमानुसार इस अपील की कार्यवाही को स्टेट किया जाना कानूनन व इन्साफन आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावें।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया व विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया एवं अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2024 पेज न0 1246 को मार्गदर्शी सिद्धान्तो के रूप में उपयोग में लिया। अपीलांट द्वारा रोही मौजा भूकरका के नामान्तरण स0 920 दिनांक 14.07.1995 सरपंच ग्राम पंचायत भूकरका के विरूद्ध न्यायालय हाजा में पेश कि गई है हमने सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया नामान्तरण दिनांक 14.07.1995 को तस्दीक हुआ है लेकिन न्यायालय हाजा द्वारा 27.03.2018 को निर्णय पारित किया गया है अपीलांट द्वारा दिनांक 04.15. 2018 को अपील पेश की गई है एवं यदि प्रकरण [illegible] गुण के आधार पर निस्तारित किया जाना हो तो ऐसे प्रकरणों में मियाद [illegible] गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य कर अपील को अन्दर मियाद घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.04 11:14:29 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने रोही मौजा भूकरका के नामान्तरण संख्या 920 दिनांक 14.07.1995 को अपास्त करवाने हेतु यह अपील पेश की है। नामान्तरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तरण में जो कुर्सीनामा दर्शाया गया है उसमें रूपा को फौत दिखाया गयाा है एवं रूपा के वारिसान को नही दर्शाया गया है एवं लेखू की पुत्री तानी के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक किया गया है अर्थात रूपा के वारिसान को छोड़ा गया जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 अभिधारियों का उत्तराधिकार में उल्लेख है कि कोई अभिधारी अगर निर्वसीयत मर जाये तो उसकी जोत में उसका हित उस स्वीय विधि के अनुसार जिसके वह अपनी मृत्यु के समय अध्यधीन था न्यायगत होगा। इससे स्पष्ट है कि अगर कोई अभिधारी निर्वसीयत मरता है तो ही उसका विरासतन नामान्तरण होगा। अगर किसी मृत अभिधारी की वसीयत पेश होती है तो सर्वप्रथम तहसीलदार को वसीयत की नियमानुसार सुनवाई करते हुए वसीयत के आधार पर नामान्तरण प्रार्थना पत्र को निर्णित करना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत विरासतन नामान्तरण पर सभी लेखू के सभी वारिसान को नही सुना गया है। श्रीमान अपर जिला न्यायधीश स0 1 नोहर द्वारा वसीयत दिनांक 22.05.1987 व दानपत्र दिनांक 29.03.2016 को अपास्त किया गया है एवं माननीय संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा तानी से उसके वारिसान के नाम दर्ज नामान्तरण को खारिज किया गया है एवं माननीय संभागयी आयुक्त महोदय द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार कर निर्णय पारित किया गया है कि उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा वाद निर्णित किए जाने की दशा में जो नामान्तरण अस्तिव्य में आया, उक्त निर्णय को राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा अपास्त कर दिया गया। चूंकि मूल आदेश जिसके आधार पर नामान्तरकरण भरा गया वह अब अस्तित्व में नहीं रहा है ऐसी स्थिति मे उक्त नामान्तरकरण प्रभाव शून्य हो जाता है। उक्त विवेचन विश्लेषण के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर मुखी के पक्ष में निर्णिय पारित किया गया है। नामान्तरण स0 920 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को सजरा में वारिस नही दिखाया गया है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत विरासतन नामान्तरण पर भी वारिसों की सुनवाई का कोई अंकन नही है। विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय सभी वारिसान को सुने बिना नामान्तरण दर्ज किया जाना न्यायोचित नही है। उपर्युक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत भूकरका द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 920 दिनांक 14.07.1995 अपास्त किया जाता है व प्रकरण तहसीलदार नोहर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तरण को उभयपक्ष की सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करते हुए तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 02/02/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.04 11:14:29 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर